राजस्थान सरकार
श्रीयादे माटी कला बोर्ड

राजस्थान सरकार की बजट घोषणानुसार 1000 विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन निःशुल्क प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रकिया एवं आवश्यक दिशा–निर्देश

राजस्थान सरकार ने माटी कला कामगारों के लिए उक्त घोषणा करके माटी कला कामगारों और माटी कला के उत्थान के लिए रोजगार सृजन का काम किया है, जिसके तहत माटी कला उत्पाद बनाने वाले/रूचि रखने वाले पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। निम्नांकित दिशा–निर्देशानुसार पात्र व्यक्ति आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकता है।

1. पात्रता :– (अ) आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर हो।
   (ब) आवेदक पूर्व में किसी भी सरकारी योजनाओं से विद्युत चालित चाक/मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त किया हुआ ना हो।
   (स) आवेदक के पास पहले से ही स्वयं अथवा किसी अन्य योजना में प्राप्त विद्युत चालित चाक है तो वह अकेली मिट्टी गूंथने की मशीन हेतु भी आवेदन कर सकता है।
   (द) आवेदक को दस दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. आवेदन श्रेणी :–(क) केवल विद्युत चालित चाक
   (ख) केवल मिट्टी गूंथने की मशीन हेतु 5 या अधिक का समूह आवेदक
   (ग) केवल मिट्टी गूंथने की मशीन हेतु एकल आवेदक
   (घ) विद्युत चालित चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन दोनों

3. प्राथमिकता :– (अ) दिव्यांग
   (ब) एकल/परित्यक्ता/विधवा महिला
   (स) 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह

4. आवेदन प्रकिया :–आवेदन ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे, ऑनलाईन आवेदन एसएसओ आईडी के माध्यम से ई–मित्र/अन्य इन्टरनेट कियोस्क–कैफे/स्वयं घर पर इन्टरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र स्वयं तथा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/राजपत्रित अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/पटवारी/उद्योग प्रसार अधिकारी द्वारा सत्यापित ही स्वीकार्य किया

जायेगा। बोर्ड की बेवसाईट से आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर प्रिन्ट लेकर, जिसमें माटी कला कामगार का प्रमाण पत्र सम्मिलित है को संबंधित अधिकारी से सत्यापित करवाकर ऑनलाईन आवेदन के समय आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है।

5. दस्तावेज :–

जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र

6. चयन प्रक्रिया :– बोर्ड द्वारा निर्धारित समय में ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों में से 1000 मशीनों के लिए पात्र आवेदकों का जिलेवार/संभागवार प्राथमिकता एवं श्रेणीनुसार लॉटरी द्वारा चयन किया जायेगा।

7. प्रशिक्षण :– उक्त प्रक्रिया द्वारा चयनित कामगारों के 20–20 के समूह में जिला/संभाग स्तर पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे, जिसमें चयनित कामगारों को प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसके बाद उनको प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

8. वितरण :– जिला/संभाग स्तर पर कामगारों की सुविधा को ध्यान में रखकर वितरण समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों को ही मशीनों का वितरण किया जायेगा।

अधिक जानकारी हेतु बोर्ड की बेवसाईटः **WWW.SMKB.RAJASTHAN.GOV.IN** पर संपर्क करें।